न्यायालय तहसीलदार,रतनगढ

सरकार बनाम परमेश्वर लाल पुत्र मोटाराम जाति प्रजापत निवासी बच्छरारा बड़ा तहसील रतनगढ जिला चूरू

मुकदमा नं:–73/2015

निर्णय दिनांक 29.2.16

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । अप्रार्थी अनुपस्थित । प्रश्नगत प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का,बच्छरारा बड़ा ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ग्राम बच्छरारा बड़ा के खसरा नं.208/158 तादादी 10.02 बीघा किस्म भूमि गै.मू.गोचर मे से 5 बिस्वां भूमि पर अप्रार्थी परमेश्वर लाल पुत्र मोटाराम जाति प्रजापत निवासी बच्छरारा बड़ा तहसील रतनगढ जिला चूरू ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण कर लिया है ।

पटवारी हल्का, बच्छरारा बड़ा की रिपोर्ट पर प्रकरण एल.आर.एक्ट की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी द्वारा तामिल कुनन्दा से नोटिस लेने से इन्कार हुआ नोटिस की प्रति आबाद मकान पर चश्पा की गई । अप्रार्थी ने न्यायालय में उपस्थित होकर नोटिस का जबाब प्रस्तुत नही किया । पटवारी हल्का की रिपोर्ट उचित प्रतीत होती है ।

अतः अप्रार्थी परमेश्वर लाल पुत्र मोटाराम जाति प्रजापत निवासी बच्छरारा बड़ा तहसील रतनगढ जिला चूरू को ग्राम बच्छरारा बड़ा के खसरा नं.208/158 तादादी 10.02 वीघा किस्म भूमि गै.मू.गोचर मे से 5 बिस्वां भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं बेदखल करने के आदेश दिये जाते है । ग्राम बच्छरारा बड़ा के शहर पड़ता अधिकतम लगान 0.40 रूपये प्रति बीघा का 50 गुणा 5/–(पांच रूपये मात्र)दण्ड स्वरूप तावान कायम किया जाता है । तहसील राजस्व लेखाकार,कार्यालय हाजा रजिस्टर में मांग तावान रजिस्टर में अंकित करे एंव भू.अ. निरीक्षक,रतनगढ व पटवारी हल्का, बच्छरारा बड़ा को बेदखली व तावान वसूली हेतु आदेश दिया जाता है । पत्रावली निर्णयशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

तहसीलदार
रतनगढ़ (चूरू)

अराजी, गोचर के पृष्ठ 2 पर
रुपये पांच मात्र (05) दर्ज की गई ।

त० रा० ले०

Scanned by CamScanner